अपील सूचना अधिकार संख्या 11/2020 (GCMS 2020/00011) (पोस्टल ऑर्डर नं. 46एफ/996835) राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल आयु 71 वर्ष निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

27.02.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 19.11.2019 से ग्यारह बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोकसूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 19.11.2019 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:

1. प्रार्थी का पत्रांक दिनांक 01.11.19 आपके कार्यालय में पहुंचने की तारीख व आरआर नम्बर की सूचना व प्रमाणित प्रति।
2. पत्र पर कार्यवाही करने वाले कर्मकार की सूचना व प्रमाणित प्रति।
3. पत्र प्राप्ति से लेकर इस पत्र का (आवेदन का) जवाब देने तक जो जो कार्यवाही जिस जिस कर्मकार, अधिकारी द्वारा की गई है, उसकी सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.09 16:44:54 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

4. प्रार्थी प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या अंकित तथ्य बीएलओ श्री सुभाष गोयल लोक सभा चुनाव 2014 में दिनांक 7.04.2014 तक उप पंजीयक, श्रीगंगानगर के अधीन कार्य किया इसकी सूचना व प्रमाणित प्रति।
5. इसकी ...स्वयं श्री बी.एल.ओ. सुभाष गोयल ने की है, इस बाबत सूचना (नियम) की प्रमाणित प्रति।
6. प्रार्थी के पत्रांक के बिन्दु संख्या 2 में अंकित कि उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 3.6.2019 में यह अंकित किया है कि सुभाष गोयल को मुख्यालय छोड़ने की अनुमति दिनांक 05.04.2014 से 07.04.2014 तक बैंक द्वारा दी गयी थी, इस बाबत सूचना व प्रमाणित प्रति।
7. श्री सुभाष गोयल, बीएलओ, बैंकिंग सहायक, श्रीगंगानगर, केन्द्रीय सककारी बैंक लिमिटेड, श्रीगंगानगर लोकसभा चुनाव ड्यूटी में श्रीगंगानगर में उपस्थित रहकर चुनाव कार्य निष्पादन किया था । इस बाबत सूचनाव व सूचना की प्रति।
8. बी.एल.ओ. श्री सुभाष गोयल चुनाव ड्यूटी लोकसभा चुनाव 2014 में बैंक द्वारा deputation पर चुनाव विभाग में जिस अवधि को deputation किये थे, उसकी सूचना व आदेश की प्रमाणित प्रति।
9. बीएलओ श्री सुभाष गोयल तत्का[illegible]ग सहायक की माह अप्रैल 2014 की उपस्थिति [illegible] व उपस्थिति पंजिका की प्रमाणित प्रति।,

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.09 16:44:54 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

10.दिनांक 05.04.2014 से 07.04.2014 तक बीएलओ श्री सुभाष गोयल श्रीगंगानगर में उपस्थित रहकर चुनाव आयोग व चुनाव अधिकारियों को धोखा देने के आधार पर लापरवाही, कर्तव्यहीनता व अनुशासनहीनता के आधार पर माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 21.09.2000 के निर्णयानुसार तुरन्त प्रभाव से बीएलओ सुभाष गोयल व प्रबन्ध निदेशक श्री एम आर खन्ना तत्कालीन श्रीगंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक को निलम्बित करने की सूचना व प्रमाणित प्रति।

11.प्रार्थी के उपरोक्त पत्र में वर्णित बिन्दुओं की सूचना में लगने वाले समय की सूचना व कार्य की प्रमाणित प्रति।

उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 171 दिनांक 26.02.2020 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है:

उपरोक्त विषय एवं प्रसंगान्तर्गत आप द्वारा सूचना के अधिकार में जो सूचना इस कार्यालय से चाही है, उसमें वर्णित पत्र जिसकी दिनांक 01.11.2019 बताया गया है, ऐसा कोई पत्र इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। कृपया इस कार्यालय में आप द्वारा इस कार्यालय को दिये गये पत्र की छाया प्रति एवं रिसीट का अवलोकन करावें ताकि आपको चाही गई सूचना उपलब्ध करवाई जा सके।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.09 16:44:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 171 दिनांक 26.02.2020 से अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया है कि उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उनके कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए अपीलार्थी उनके कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सूचना प्राप्त कर सकता है। अतः उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को निर्देशित जाता है कि अपीलार्थी यदि उनके कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें तो वे उसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकम़ील दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 27.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सौरभ स्वामी)
ज़िला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.09 16:44:54 IST
Reason: SelfAttested